विंध्य में नशीले कारोबार के खिलाफ एसटीएफ ने कसी कमर

अब तक 18 उठाए गए , जेलों में बंद आरोपियों से आमने-सामने की पूछताछ

नवभारत न्यूज

सतना, 27 जून. विंध्य क्षेत्र की युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे अवैध नशीली कफ सिरप के काले कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए भोपाल एसटीएफ ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है.

जिला समेत पूरे विंध्य अंचल में फैले इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एसटीएफ की टीमों ने पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जगहों में छापामारी की.एसटीएफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस अंतरराज्यीय रैकेट से जुड़े अब तक कुल 18 शातिर तस्करों को सलाखों के पीछे भेज दिया है.मामले की गंभीरता और इस नेटवर्क की गहराई को देखते हुए एसटीएफ ने इस बार बेहद सख्त और रणनीतिक रुख अपनाया है.केवल गिरफ्तारियों तक सीमित न रहते हुए, एसटीएफ की विशेष टीम ने कोर्ट की अनुमति से जेल में बंद मुख्य आरोपियों में से 7 कुख्यात तस्करों को आमने-सामने बैठाकर सघन पूछताछ की. विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आमने-सामने की पूछताछ में तस्करों के बयानों में भारी विरोधाभास देखने को मिला, जिसके बाद कड़ाई बरतने पर आरोपियों ने कई अहम सुराग उगल दिए हैं.इस हाई-प्रोफाइल क्रॉस-पूछताछ के बाद एसटीएफ के हाथ कुछ ऐसी कड़ियां लगी हैं, जिससे इस समूचे सिंडिकेट को फाइनेंस करने वाले और बैक-सपोर्ट देने वाले विंध्य क्षेत्र के कई अन्य बड़े चेहरों और रसूखदारों के बेनकाब होने की पूरी उम्मीद है. पूरे रैकेट को पर्दे के पीछे से संचालित करने वाले दो मुख्य और बेहद शातिर तस्कर अजय पटेल और रोहित जयसवाल फिलहाल फरार है एसटीएफ ने इन दोनों पर 30-30 हजार रुपये का नकद इनाम घोषित कर दिया है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अजय और रोहित लंबे समय से विंध्य क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर जहरीली और प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप की खेप को खपाने और उसकी सप्लाई चेन को बनाए रखने के मुख्य सूत्रधार रहे हैं. इनके खिलाफ सतना के कोलगवां थाने में नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं.एसटीएफ की टीमें इनकी तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. भोपाल एसटीएफ की इस बड़ी और चौतरफा कार्रवाई से पूरे विंध्य क्षेत्र सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली के नशा माफियाओं और उनके मददगारों में भारी हड़कंप मच गया है.कई छोटे-बड़े पेडलर और सप्लायर भूमिगत हो गए है .

खाते में मिले 55 लाख फ्रीज

नशा माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एसटीएफ ने इस बार उनके आर्थिक स्रोतों को निशाना बनाया है .जांच के दौरान तस्करों के नाम पर संचालित हो रहे कई संदिग्ध बैंक खातों का पता चला, जिनका उपयोग कफ सिरप की अवैध खरीद-बिक्री के पैसों के लेन-देन के लिए किया जा रहा था.एसटीएफ ने तत्परता दिखाते हुए इन सभी बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह सील कर दिया है .सील किए गए खातों में लगभग 55 लाख रुपये की राशि जमा थी

कारोबार की तह तक जाएंगे : लोढ़ा

एसटीएफ डीआईजी भोपाल राहुल लोढ़ा ने बताया कि विंध्य क्षेत्र सहित प्रदेश में फैले अवैध नशीली कफ सिरप के 18 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है तस्करों को रिमांड में लिया गया था कई सुराग मिले है .अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त किया जाएगा

रीवा में फिर पकड़े गए दो मुन्ना भाई

टीआरएस कॉलेज में दूसरे के स्थान पर दे रहे थे परीक्षा

नवभारत न्यूज

रीवा, 27 जून, रीवा के टीआरएस कॉलेज में परीक्षा के दौरान दो फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर दोनों फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. इसमें से एक अपने जीजा की जगह तो दूसरा अपने चचेरे भाई की जगह परीक्षा दे रहा था.

पकड़े गए आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. नकली परीक्षार्थियों की पहचान सुखेंद्र पटेल निवासी हनुमना और पुष्पराज सिंह चौहान निवासी कमर्जी सीधी के रूप में की गई है.

इस पूरे मामले में महाविद्यालय प्राचार्य ने बताया कि मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया गया था.

भोज मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र टीआरएस कॉलेज बनाया गया है यहां प्रथम पाली की परीक्षा 9:00 बजे से 12:00 बजे हो रही थी. स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के संचालन के दौरान जब वीक्षकों के द्वारा चेकिंग की जा रही थी इस समय एमसीए की परीक्षा में प्रवेश पत्र पर संदेह हुआ जब पूछताछ हुई तो पता चला कि सज्जन सिंह के जगह पुष्पराज सिंह निवासी कमर्जी सीधी अपने चचेरे भाई की जगह परीक्षा में शामिल हुआ है. परीक्षा के दौरान जब एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया तो गहन जांच शुरू हो गई इस दौरान बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में भी एक फर्जी छात्र दल के हाथ लग गया यहां सुखेंद्र पटेल नमक फर्जी परीक्षार्थी अपने जीजा रंजीत पटेल की जगह परीक्षा दे रहा था जो हनुमान का निवासी है. पकड़े गए दोनों ही परीक्षार्थियों को महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

नवीन न्यायालय भवन में उपलब्ध होगी मूलभूत सुविधाएं

2 करोड़ 87 लाख का बजट हुआ स्वीकृत

नवभारत न्यूज

रीवा, 27 जून, रीवा के नवीन न्यायालय भवन में मूल बहुत सुविधाओं को लेकर हुई अहम बैठक में 2 करोड़ 87लाख रुपए का कार्य जल्द शुरू होने वाला है.

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बताया है कि बीते दिवस राज निवास में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, आयुक्त नगर निगम एसडीएम हुजूर व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है. न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए 12 लिफ्ट 1 करोड़ 23 लख रुपए की लागत से लगाई जा रही है कच्ची

पार्किंग को 87 लख रुपए की लागत से कंक्रीट किया जाएगा. अधिवक्ताओं को निजी कलेक्शन देने के लिए एल टी लाइट कनेक्शन के लिए 93 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है.

प्रमुख रूप से साफ सफाई के लिए हाई कोर्ट के द्वारा प्रतिमा 4 लाख रुपए नगर निगम को दिया जाएगा जिसमें 20 सफाई कर्मचारी नगर निगम प्रतिदिन उपलब्ध कराएगी. अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने बताया कि न्यायालय भवन और अधिवक्ता भवन को जोड़ने के लिए प्रस्ताव रखा गया है जिस पर अगले माह निर्णय लिया जाएगा इसकी लागत 3 करोड़ 92 लाख होगी. न्यायालय परिसर के लिए लिए गए इस निर्णय के बाद अधिवक्ताओं में काफी राहत देखी जा रही है.

चौबीस घंटे में सिंगरौली डीईओ के आदेश पर आया स्पष्टीकरण

जिला शिक्षा अधिकारी ने लिया यू-टर्न, लिपिक की मानी गलती

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 27 जून। जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी द्वारा 25 जून को जारी उस आदेश पर, जिसमें बिना सक्षम अनुमति पत्रकारों एवं आम नागरिकों के विद्यालय में प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे, महज 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया।

पहले आदेश के सार्वजनिक होने के बाद पत्रकार संगठनों, सामाजिक संगठनों और आमजन

ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद 26 जून को शिक्षा विभाग ने आदेश की मंशा स्पष्ट करने का प्रयास किया। स्पष्टीकरण पत्र में कहा गया है कि आदेश का उद्देश्य मीडिया की भूमिका को सीमित करना नहीं, बल्कि विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा तथा शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है और निर्देश केवल बाहरी व्यक्तियों अथवा कथित इन्फ्लुएंसर्स के प्रवेश को विनियमित करने के लिए जारी किए गए थे।

हालांकि पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ रहा है कि यदि मूल आदेश स्पष्ट था, तो अगले ही दिन स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मूल आदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकार या इन्फ्लुएंसर्स जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं था, बल्कि पत्रकारों एवं सामान्य जन के प्रवेश पर सक्षम अनुमति की बात कही गई थी। वहीं सक्षम अधिकारी कौन होगा, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसे में अब आदेश और स्पष्टीकरण के बीच अंतर को लेकर बहस तेज हो गई है।

दर्शन के लिए जा रहे छात्र-छात्रा सड़क हादसे में घायल

बिरकुनिया में हुआ मोटरसाइकिल के फिसलने से हादसा

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 27 जून। मोरवा क्षेत्र के दो छात्र-छात्रा शनिवार की दोपहर दर्शन के लिए जाते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। बिरकुनिया के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना आज दोपहर की है। दोनों घायल मोरवा के साईनगर निवासी हैं।

जानकारी के अनुसार युवक आशीष साकेत उम्र 21 व

युवती प्रज्ञा तिवारी उम्र 20 निवासी साईनगर मोरवा दुधमनिया स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान बिरकुनिया के समीप बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क पर फिसलकर गिर पड़ा। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल-112 और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर छात्रा के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अपने वाहन से अस्पताल ले गए। वहीं डायल-112 की टीम ने घायल युवक को उपचार के लिए एनसीएल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे नेहरू शताब्दी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण में देवसर तहसील अव्वल

देवसर 27 जून। जिले की देवसर तहसील ने आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नई पहचान बनाई है। मई माह में प्राप्त शिकायतों के आधार पर 20 जून को जारी प्रदेश स्तरीय समीक्षा रैंकिंग में देवसर तहसील ने 85.80 अंक (ए ग्रेड) हासिल कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कलेक्टर गौरव बेनल ने तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह को अर्द्धशासकीय पत्र भेजकर बधाई दी है। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग का उद्देश्य नागरिकों को संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है.

उप मुख्यमंत्री ने किये भगवान कामतानाथ के दर्शन

लगाई परिक्रमा,मांगा आशीर्वाद

नवभारत न्यूज

सतना 27 जून. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल चित्रकूट प्रवास के दौरान शनिवार को चित्रकूट स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भगवान कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।

इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कामदगिरि की परिक्रमा भी की। इस अवसर पर बालेंद्र गौतम सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

13 वर्षीय अपहृता हरियाणा प्रांत के पानीपत से बरामद

सिंगरौली 27 जून। जयंत चौकी क्षेत्र के एक 13 वर्षीय किशोरी को किसी व्यक्ति ने बहला फुसला कर भगा ले गया। इस सूचना पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर तलाश शुरू कर दी। जहां पुलिस ने हरियाणा प्रांत के पानीपत से किशोरी को दस्तयाब करने में चौकी प्रभारी अरूण सिंह व उनकी टीम ने सफलता हासिल की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूचनाकर्ता (परिवर्तित नाम) सानू पति अमोद बंसल निवासी जैतपुर चौकी जयंत की 3 जून को लिखित आवेदन पत्र पेश की कि 13 वर्षीय कोमल बसंल (परिवर्तित नाम) रात्रि में बिना बताये कही चली गयी है,

एसओपी का उल्लंघन करने वाले ट्रांसपोर्टरों को ब्लैकलिस्ट करें : डॉ . राजेश

दुर्घटनाओं के प्रति अपनाएं जीरो टॉलरेंस, सांसद की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 27 जून। कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक सांसद डॉ. राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, कलेक्टर गौरव बैनल एवं एसपी सियाज केएम मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में आगामी मानसून सत्र और जिले के यातायात प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए कई कड़े नीतिगत निर्णय लिए गए। सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई

जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले तत्वों और नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों पर तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सांसद ने हेलमेट के अनिवार्य उपयोग और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में भारी पेनाल्टी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। जिले में संचालित औद्योगिक कंपनियों द्वारा रोड सेफ्टी के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए सांसद ने बेहद कड़े निर्देश जारी किए। अब कंपनियों को अपने वाहनों के लिए अलग से अनिवार्य पार्किंग व्यवस्था करनी होगी। निर्धारित एसओपी का उल्लंघन करने वाले ट्रांसपोर्टरों को सीधे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कंपनियों को हैवी वाहनों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने और सीसीटीवी कैमरों से उनकी चौबीसों घंटे निगरानी करने को कहा गया है। ट्रांसपोर्टरों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़कों पर परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार का कोल फ्लैश न गिरे। बैठक में ननि अध्यक्ष देवेश पाण्डेय, भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदर लाल शाह, अपर कलेक्टर पीएस त्रिपाठी, ननि आयुक्त सविता प्रधान, सभी उपखण्ड अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर, यातायात प्रभारी, कंपनियों के प्रतिनिधि व ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे।

सांसद ने दी आबकारी अधिकारी को नसीहत

शहरी इलाकों में यातायात को सुचारू बनाने के लिए सांसद ने अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य सड़कों के किनारे अवैध रूप से संचालित गैरेज और गुमटियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाएगा। बाजार केवल उनके निर्धारित स्थलों पर ही लगाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के भारी चालान काटे जाएंगे। आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे गुमटियों की सघन जांच करें, ताकि वहां अवैध शराब की बिक्री न हो सके।

मां से किया वादा अड़तीस साल बाद डाक्टर बन बेटे ने पूरा किया

निजी तौर पर खुला नया श्यामा अस्पताल

नवभारत न्यूज

सतना, 27 जून. कहानियां तो बहुत सुनने को मिलती हैं पर कभी-कभी ऐसी हकीकत से भी सामना हो जाता है,जिसकी कल्पना कम ही साकार हो पाती है.सांस तोडती मां से किया वादा एक बेटे ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर अड़तीस साल बाद पूरी कर मिशाल कायम की.शहर में निजी तौर पर खुलने वाले श्यामा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की.

रविवार को शुभारम्भ के बाद शुरू हो रही अस्पताल की ओपीडी की जानकारी पत्रकारों को देते हुए संचालक गायनेकोलोजिस्ट डां योगेन्द्र सिंह ने बताया कि कक्षा सात में जब वे डगडीह गांव में पढ़ रहे थे तब लोगों की मदद के लिए डांक्टर बनने का संकल्प लिया था.सन्1988 से लगातार इसी प्रयास में लगे रहे कि अपने जिले अपने क्षेत्र की जनता की सेवा का अवसर मिले.उन्होने बताया कि उनकी माता जी का निधन ओबरी के आपरेशन में गलत नस कट जाने से हुई थी.मां के साथ जो हुआ वह किसी दूसरे बच्चे की मां के साथ नहीं हो यह तय कर उसी दिन से विशेषज्ञ डांक्टर बनने का निर्णय लिया.इसके बाद रीवा मेडिकल कालेज से एमबीबीएस और राजस्थान से पीजी करने के बाद गुजरात और राजस्थान में वर्षों तक काम किया.बाद में अपनों के बीच मदद का लक्ष्य ले इस अस्पताल के निर्माण का निर्णय लिया.

डां सिंह ने बताया कि उनकी कोशिश है कि अस्पताल में अत्याधुनिक उपकरण स्थापित किए जाए .ताकि मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पडे.उन्होने ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के प्रति संवेदना दिखाते हुए बताया कि उनकी कोशिश है कि मरीज के साथ आने वाले परिजनों को रूकने ठहरने के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़े इसके लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था जुटाई जा रही है.कभी सतना के व्यक्ट क्रमांक एक के छात्र रहे डां योगेन्द्र ने कहा कि उनकी योजना भविष्य में बाहर के विशेषज्ञ चिकित्सकों को आमंत्रित कर स्थानीय लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने की है.उन्होने लोगों के सस्ते इलाज का वादा दोहराते हुए कहा कि अस्पताल के निर्माण में पूरे मापदण्डों का ध्यान रखा गया है.

शुभारंभ आज

बगहा स्थित श्यामा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारम्भ रविवार 28 जून को प्रदेश की राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के मुख्य आतिथ्य में होगा .कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद गणेश सिंह करेंगे .जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर नागौद विधायक नागेन्द्र सिंह,चित्रकूट विधायक सुरेन्द्र सिंह,सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और रामपुर विधायक विक्रम सिंह विक्की उपस्थित होगे .दोपहर 12 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम सभी से भाग लेने की अपील की गई है .

आरईएस घोटाला : भोपाल पहुंची जांच, दोषियों पर आयेगी आंच !

जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन ईई सहित 9 लोगों के खिलाफ सिद्ध हुए गंभीर दोष

आदित्य सिंह

सीधी, 27 जून. मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पर सीधी जिले के आरईएस संभाग सीधी द्वारा कराये गये गुणवत्ता विहीन कार्यों और घोटलों की विभागीय जांचकर्ता अधिकारी सीईओ जिला पंचायत सीधी ने शासन को जांच प्रतिवेदन भेजा है।

जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन ईई सहित 9 लोगों के खिलाफ गंभीर दोष सिद्ध हुए है। अब सवाल यह है कि आरईएस घोटाला की जांच भोपाल पहुंचने के बाद दोषियों पर आंच आयेगी ? विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 370/2587560/2025/22/विङ्क5/स्था./दिनांक 26.03.2025 की विभागीय जाँचकर्ता अधिकारी सीईओ जिला पंचायत सीधी शैलेन्द्र सोलंकी द्वारा शासन को भेजे गये विभागीय जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सीधी हिमांशु तिवारी सहित अन्य 9 कर्मचारियों के खिलाफ अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, फर्जी माप, गुणवत्ताहीन निर्माण एवं संगठित भ्रष्टाचार कर शासन को करोड़ों रुपयों की क्षति पहुंचाये जाने का उल्लेख करने के साथ भ्रष्टाचार अधिनियम अंतर्गत आपराधिक दुराचरण एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(एक)(दो)(तीन) एवं 3(2) का उल्लंघन किये जाने के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दण्डनीय आपराधिक मामले का भी उल्लेख किया गया है। यहां बताते चलें कि आरईएस सीधी घोटाले की गूंज राजधानी तक पहुंचने के बाद जांच टीम सीधी आई थी। टीम द्वारा कई सड़कों , बांध और पुल - पुलिया का निरीक्षण भी किया गया था। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य आधे-अधूरे एवं गुणवत्ता विहीन मिले थे। कुछ ऐसी सड़कें थी जो पहली बरसात में ही बहने से आवागमन ठप्प हो गया था। टीम के जांच के बाद तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सीधी हिमांशु तिवारी सहित चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। घोटाले का साक्ष्य मिटाने के लिए ईई कार्यालय में मौजूद महत्वपूर्ण कागजातों के साथ चेक और एफडी जलाने का मामला भी सामने आया था।

चुरहट विधायक ने लगाया था प्रश्न

विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल द्वारा आरईएस विभाग के तत्कालीन प्रभारी ईई के भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में प्रश्न लगाये थे । लगाये गये प्रश्न में कहा गया था कि आरईएस विभाग के ईई द्वारा काफी घटिया निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। जिनमें गुणवत्ता की काफी कमी सामने आ रही है। आरईएस विभाग के चर्चित निर्माण कार्यों की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिये, जिससे शासन के धन का अपव्यय न हो और होने वाले निर्माण कार्यों का लाभ लोगों को लम्बे समय तक मिल सकें।

नवभारत ने प्रमुखता से रखा था मामला

...जांच की आंच से घबराये आरईएस ईई, दुरुस्त करा रहे रिका

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सीधी अन्तर्गत कुसमी, सीधी एवं मझौली जनपद क्षेत्र अन्तर्गत पुल-पुलिया, सड़क और बांध के गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों के मामले की पोल जांच करने आये दल के सामने प्रमुखता से रखा गया था।

इनका कहना है

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पर की गई विभागीय जांच के दौरान जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं कथन के आधार पर तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सीधी हिमांशु तिवारी सहित 9 लोगों पर गंभीर दोष सिद्ध पाया गया। जिसके आधार पर जांच प्रतिवेदन शासन को भेजे दिया गया है।

शैलेन्द्र सोलंकी
जांचकर्ता अधिकारी

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित . संपादक- संजय पयासी * फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99